



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-17112025-267718
CG-MH-E-17112025-267718

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5017]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 14, 2025/ कार्तिक 23, 1947

No. 5017]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 14, 2025/ KARTIKA 23, 1947

खान मंत्रालय
(भारतीय खान ब्यूरो)

अधिसूचना

नागपुर, 30 अक्टूबर, 2025

का.आ. 5186(अ).—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 18 और खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के नियम 24 के उपनियम (1) में दिये गये प्रावधानों के अनुसरण में तथा नियमों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, खान मंत्रालय (भारतीय खान ब्यूरो) की अधिसूचनाओं को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या एस. ओ. 414 (ई), दिनांक 24 जनवरी 2022 के माध्यम से दिनांक 01 फरवरी 2022 को प्रकाशित हुई थी, अधिक्रमित करते हुए, सिवाय ऐसी चिजों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले की गयी थी या की जानी बाकी थी, भारतीय खान ब्यूरो एतद्वारा खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के नियम 24 के उपनियम (1) में दिये गये प्रावधानों के अनुसरण में अनुमोदन के लिये प्रस्तुत खान बंद करने की अंतिम योजना दस्तावेज के साथ खनन पट्टे के सम्पूर्ण एवं आंशिक क्षेत्र, जिसके लिये भारतीय खान ब्यूरो के पास अनुमोदन के लिये ऐसी खान बंद करने की योजना प्रस्तुत की गई है, के साथ संदत्त अप्रतिदेय शुल्क निम्नलिखित तालिकानुसार निर्दिष्ट किया जाता है, अर्थात:-

क्रमांक	खनिज	खनन पट्टे का क्षेत्रफल	अप्रतिदेय शुल्क
1	सभी खनिज	10 हेक्टेयर तक	पाँच हजार रुपये
2	सभी खनिज	10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी खनन पट्टे	प्रति वर्ग किलोमीटर या उसके भाग के लिये पच्चीस हजार रुपये

बशर्ते कि बेराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज के सम्बंध में 10 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के सभी खनन पट्टों लिये, दिनांक 31.12.2025 को या उससे पहले अनुमोदन के लिये प्रस्तुत खान बंद करने की अंतिम योजना दस्तावेज के लिये, अप्रतिदेय शुल्क केवल एक हजार रुपये होगा।

यह अधिसूचना अधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. टी-43010/2/2024-टीएस-आइबीएम-मुख्यालय]

पंकज कुलश्रेष्ठ, महानियंत्रक (प्रभारी)

MINISTRY OF MINES

(Indian Bureau of Mines)

NOTIFICATION

Nagpur, the 30th October, 2025

S.O. 5186(E).—In pursuance of Section 18 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) read with sub-rule (1) of Rule 24 of Mineral Conservation and Development Rules 2017 and in exercise of the powers conferred under the said rules and in supersession of notifications of the Government of India, Ministry of Mines (Indian Bureau of Mines) published on dated 1st February, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 414(E), dated the 24th January, 2022 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Indian Bureau of Mines hereby specify the following non-refundable fee to be accompanied with the Final Mine Closure Plan document submitted for approval, namely:—

S. No.	Mineral	Area of mining lease	Non-refundable fees
1	All Minerals	Upto 10 hectares	Five thousand rupees
2	All Minerals	All mining leases having area more than 10 hectares	Twenty five thousand rupees) per Square Kilometres or part thereof.

Provided that for Final Mine Closure Plan in respect of Barytes, Felspar, Mica and Quartz for an area up to 10 hectares submitted for approval on or before the 31st December, 2025, the non-refundable fee shall be one thousand rupees only.

This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. T-43010/2/2024-TS-IBM_HQ]

PANKAJ KULSHRESHTHA, Controller General (In-charge)